

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:निस/निदेशक(जन स्वा0)/2009/239

दिनांक: 29-09-2009

परिपत्र

ग्रामीण स्वास्थ्य चेतना शिविर, 2009 एवं मौसमी बीमारियों के मध्यनजर निर्देशित किया जाता है कि समस्त सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें-जोन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। उक्त अधिकारीगण अवकाश पर रहने अथवा राजकीय कार्य से अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाने की पूर्वानुमति निदेशक (जन स्वास्थ्य) से प्राप्त करनी आवश्यक है तथा आवश्यक होने पर राज्य से बाहर जाने की पूर्वानुमति प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

इसी प्रकार सभी जिला शिशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन अधिकारी (RCHO) एवं उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी निदेशक (आरसीएच) की पूर्वानुमति से ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे।

यह निर्देश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

६०
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. निदेशक (आर0सी0एच0/एड्स), मुख्यालय।
3. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित/पक/ग्रा0स्वा/चि0प्र0), मुख्यालय।
4. समस्त सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें-जोन-राजस्थान
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-राजस्थान
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
7. समस्त जिला शिशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन अधिकारी (RCHO)
8. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
9. प्रभारी सेन्ट्रल सर्वर रुम। 342121 पत्र को 06 सप्टे 02-4619
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।